

नियम-13 के अधीन जारी किया गया है।


..... नहीं.....

10. अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो।

..... नहीं.....

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग, विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- उक्त संपरिवर्तन आदेश का ट्रेस नक्शा अभिन्न अंग रहेगा।
- यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के अन्दर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा करायी गयी प्रीमियम धन राशि समपृहत हो जायेगी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
- राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
- आवेदित संपरिवर्तित भूमि पर यदि बिजली की एच.टी./एल.टी. लाईन गुजर रही हो, तो विद्युत विभाग के नोर्स अनुसार निर्माण कार्य किया जावे।
- आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15.05.08 अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधी में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधी में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।



विहित प्राधिकारी की मोहर

विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर
विराटनगर (जयपुर)

संख्या : पीए/2021/1610-1616

दिनांक : 04.08.2021

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार विराटनगर को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर।
4. पटवारी हल्का भामोद को आदेश के पालनार्थ।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत भामोद।
6. मातेश्वरी शिक्षा समिति मैड तहसील विराटनगर जयपुर।
7. कार्यालय प्रति।

आज दिनांक 19 मार 01 सन 2022

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 229

में पृष्ठ संख्या 90 क्रम संख्या 202203421100170

पर परिवर्द्ध किया गया। अति. पुस्तक संख्या 497

पृष्ठ संख्या 51 में 60

तक किया गया है।

उप पंजीयक,
विराटनगर (जयपुर)



विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर

कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी विराटनगर)

संख्या : पीए/2021/1699

दिनांक:-04.08.2021

संपरिवर्तन आदेश

मातेश्वरी शिक्षा समिति मैड तहसील विराटनगर जयपुर के आवेदन पत्र पर उसकी खातेदारी अभिघृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 छ के अधीन संस्थानिक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।

1. आवेदक खातेदार का नाम पिता/पति के नाम सहित पूरा पता	मातेश्वरी शिक्षा समिति मैड तहसील विराटनगर जयपुर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।हाँ.....
3. संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :- अ. ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	भामोद/भामोद/ विराटनगर
ब. भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल	1025/0.18 हैक्टेयर, 1026/0.07 हैक्टेयर, 1027/0.06 हैक्टेयर, 1187/502/0.07 हैक्टेयर, 1192/503/0.1720 हैक्टेयर, एवं 1211/1194/0.25 हैक्टेयर कुल किता 6 सम्पूर्ण रकबा 0.8020 हैक्टेयर यानि 8020 वर्गमीटर
स. प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर)	1025/0.18 हैक्टेयर, 1026/0.07 हैक्टेयर, 1027/0.06 हैक्टेयर, 1187/502/0.07 हैक्टेयर, 1192/503/0.1720 हैक्टेयर, एवं 1211/1194/0.25 हैक्टेयर कुल किता 6 सम्पूर्ण रकबा 0.8020 हैक्टेयर यानि 8020 वर्गमीटर
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5. संदेय प्रीमियम की दर	DLC दर का 10% (11.74/- रुपये प्रति वर्गमीटर)
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	GRN :- 0047887756 Date :- 25-02-2021 Rs- 1000/- GRN :- 0052134595 Date :- 03-08-2021 Rs- 93,200/-
7. चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम नहीं
8. चालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो, की जमा करायी गई रकम नहीं
9. क्या आदेश नियमितकरण के लिए



उप पंजीयक
तहसील विराटनगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)